संख्या— 31 / 2020 / 1887 / 77—3—2020—10(बजट) / 2018

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकरनगर।

औद्योगिक विकास अनुभाग—3 लखनऊः दिनांकः 11 सितम्बर, 2020

विषयः— चालू वित्तीय वर्ष 2019—20 में निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण में आ रहे जनपदों को भूमि क्रय / अधिग्रहण हेतु विभागीय बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीडा के पत्र संख्या—1521 / यूपीडा / 08 / 147 दिनांक 10.09.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या—07 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03—राज्य राजमार्ग 337—सड़क निर्माण कार्य 07—गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस—वे 60—भूमि क्रय" मद में से जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर को रू0 109.69 करोड़ (रू0 एक सौ नौ करोड़ उन्नहत्तर लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न पुनर्विनियोग / प्रपत्र बी0एम0—9 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल स्वीकृत करने की सहर्ष सहमति प्रदान करते है :—

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह भी दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर व्यय की जाने वाली धनराशि से अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1 / 2020 / बी—1—149 / दस—2020—231 / 2020, दि0 24.03.2020, शासनादेश संख्या—4 / 2020 / बी—1—192 / दस—2020—231 / 2020, दि0 07.04.2020, शासनादेश संख्या—5 / 2020 / बी—1—196 / दस—2020—231 / 2020, दिनांक 11.04.2020 एवं 18.05.2020 द्वारा जारी दिशा—निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक/पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखा जायेगा।

(8) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(9) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

3— उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020—21 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03—राज्य राजमार्ग 337—सड़क निर्माण कार्य 07—गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे 60—भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा तथा अनुदान संख्या—07 के लेखाशीर्षक ''5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03—राज्य राजमार्ग 337—सड़क निर्माण कार्य 10—बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 60—भूमि क्रय'' मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या—1/2020/बी—1—149/दस—2020—231/2020, दि0 24.03.2020 द्वारा प्रतिनिधानित शक्तियों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

<u>संलग्नक—प्रपत्र बी0एम0—9</u>

भवदीय,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव।

<u>संख्या— 31/2020/1887 (1)/77—3—2020, तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5. निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त ई—6/औद्योगिक विकास अनुभाग—2
7. वित्त आय—व्ययक अनुभाग—1/नियोजन—4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव।

फार्म बी0एम0–9 (भाग–1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भ बजट मैनुअल के प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या– 07
विभाग का नाम– औद्योगिक विकास विभाग

(धनराशि लाख रू0 में)

निधियो से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15–डिजिट कोड मे)	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग 337–सड़क निर्माण काय 10– बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना 60– भूमि क्रय' (15 अंको का लेखाशीर्ष–5054033371060)	10969	10969	10969	10969	-
योग :–	**10969**	**10969**	**10969**	**10969**	**-**

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्ष (15–डिजिट कोड मे)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+10)
7	8	9	10	11	12
"5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग–337–सड़क निर्माण कार्य– 07– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना– 60–भूमि क्रय' (15 अंको का लेखाशीर्ष–5054033370760)	22400	33969	10969	10969	33969
योग :–	**22400**	**33969**	**10969**	**10969**	**33969**

01. स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग 337–सड़क निर्माण काय 10– बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना मे बचत सम्भावित है।

02. स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ –9 में अंकित अधिक व्यय का कारण– "5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03–राज्य राजमार्ग–337–सड़क निर्माण कार्य–07– गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना –60 वृहद निर्माण कार्य' मे अधिक व्यय की सम्भावना है।

03. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट बजट मैनुअल के प्रस्तर –150,151,154 व 156 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नही होता है।

सं०-ई 6 /661 (1) /वित्त-2020

संख्या —आर0ई0सं0 62 /ई—6/2020 दिनांक 11.09.2020

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0 इलाहाबाद।

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव
औद्योगिक विकास विभाग

(विवेक त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव
वित्त विभाग

संख्या — 1878(1) /77—3—2020 तददिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, लखनऊ।
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकर नगर।
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
4. वित्त (व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—6
5. वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—01 तीन प्रतियों में।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार सिंह)
अनु सचिव

Pankaj Gupta
10/09/2020
10-9-2020